

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, हजारीबाग
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक: 22-5-13

विषय :-मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय, उप शीर्ष-71-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत 11-12 में पूर्ण होने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड-49P470180800710545 के अन्तर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2013-14 में बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को परिशिष्ट 2 में वर्णित कार्यों पर व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	कुल आवंटन (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ 80-सामान्य	800-अन्य व्यय/ 71-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत 11-12 में पूर्ण होने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व	05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, 49P470180800710545	456.07

आवंटित राशि - ₹ चार करोड़ छप्पन लाख सात हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2013-14 के बजट उपबंध रु. 1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट 2 में वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।


(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता


(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव(अभि०)


(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)


(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2014 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

ज्ञापांक :-

16

राँची, दिनांक :-

22-5-13

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिन्नु, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/हजारीबाग सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

(एस० के० शतपथी)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

16

राँची, दिनांक :-

22-5-13

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, सचिव, योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव(अभि०)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

विभागीय पत्रांक.....16.....

दिनांक 22-5-13

का अनुलननक

परिशिष्ट -1

माँग संख्या-49-जल संसाधन विभाग,
मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय,
उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,
लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय,

उप शीर्ष-71-छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत 11-12 में पूर्ण होने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व
विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, 49P470180800710545

वित्तीय वर्ष 2013-14 में बजट उपबंध 1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़) रूपये मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	मार्च 2013 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2013-14 में आवंटन	पूर्व का आबंटन	वर्तमान आबंटन	कुल आवंटन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	जलपथ प्रमंडल-बरही	हजारीबाग	पंचखेरो जलाशय योजना	7568.97	पत्रांक-25 / 07-08 / प्र०स्वी० दिनांक 23.08.2007	6633.6956	0.00	456.07	456.07		
कुल योग						6633.70	0.00	456.07	456.07		
आवंटित राशि - ₹ चार करोड़ छप्पन लाख सात हजार मात्र।											

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

मुक्ति साधन चौसिया
उप सचिव(अभि०)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

पत्रांक :- 16

दिनांक 22-5-13

का अनुमनक

परिशिष्ट - 2

विपत्र कोड-49P470180800710545

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	कार्य का विवरण	पूर्व का आबंटन	वर्तमान आबंटन	कुल आवंटन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जलपथ प्रमंडल—बरही	पंचखेरो जलाशय योजना	(A) Panchkhero Reservoir Scheme(Head Works)				
			River Closer(1200M to 1370M)with Constuction of Coffor dam,etc.		111.19	111.19	
			Residual work of earth Dam from 1370M to 2180M left dyke (03F2/2005-06)		53.75	53.75	
			Residual work of Spill Channel		150.00	150.00	
			Constuction of road,Parapet,Berm drain,slope drain & Stair.		10.00	10.00	
			Constuction of ramp with WBM Road at 1500M to 1650M of Dam.		6.05	6.05	
			Carriage of earth for construction of Ramp at 1500M.		0.57	0.57	
			Carriage of earth for construction of Ramp at 1650M.		0.18	0.18	
			Total (A)		331.74	331.74	
			(B) Distribution System				
			Residual work of CD at Ch. 4.00 of LMC.		1.57	1.57	
			Residual work of Aquaduct at Ch. 11.00 of LMC.		58.94	58.94	
			Earth work from Ch. 20.00 to 45.47 of LMC.		2.33	2.33	
Residual Earth work from Ch. 109.47 to 137.77 of LMC.		2.78	2.78				
Constuction of CD at Ch. 22.00 & Ch.26.00 of LMC.		6.00	6.00				
Constuction of Escape at Ch. 106.50 of RMC and Ch. 241.00 of LMC.		1.91	1.91				
Constuction of outlet at different Ch. Of LMC (16 Nos)		5.77	5.77				
Right Main Chani.							
Residual Earth work from Ch. 0.00 to 20.50 of RMC.		13.68	13.68				
Residual Earth work from Ch. 45.10 to Ch.106.50 of RMC.		14.00	14.00				
Constuction of CD work at Ch29.50 & Ch 41.00 of RMC.		1.77	1.77				
Constuction of outlet at different Ch. Of RMC (7 Nos)		5.00	5.00				
Constuction of DLR Bridge at Ch. 75.70 of RMC.		9.33	9.33				
(O)-Miscelaneuos							
13	(A) Annual R/M of 5 Nos. Govt Vehicle BHM-2833,BPM-2599,JH02F-9135,JH02J-5490,A/F Boleio.		1.25	1.25			
	Total (B)		124.33	124.33			
	Grand Total		456.07	456.07			

आर्वाटित राशि – ₹ चार करोड़ छप्पन लाख सात हजार मात्र।

आवृत्ति राशि - ₹ चार करोड़ छप्पन लाख सात हजार मात्र।

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

मुक्ति साधन चौरसिया
उप सचिव(अभि०)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव